NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 8, ISSUE 6, June-2022

PRAMOD DANGI
RESEARCH SCHOLAR
DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE
RADHA GOVIND UNIVERSITY, RAMGARH, JHARKHAND

SUPERVISOR
DR. MANOJ KUMAR
DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE
RADHA GOVIND UNIVERSITY, RAMGARH, JHARKHAND

निर्वाचन तंत्र में सुधार :एक विश्लेषण

सार

स्वतन्त्र भारत में समय–समय पर हुए आम निर्वाचनों के आयोजन के क्रम में इनको संचालित करने वाले कानून, नियमों आदि में कमियाँ, विकृतियाँ या त्रुटियाँ अनुभव की जाने लगी। निराकरण के लिए जन प्रतिनिधित्त्व अधिनियमों तथा निर्वाचन से सम्बद्ध अन्य वैधानिक प्रावधानों में सुधार के लिए भी मांग की जाती रही ताकि निर्वाचनों के आयोजनों से स्वच्छता, स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता के अपेक्षित स्तर को प्राप्त किया जा सके। प्रायः यह मांग या तो निर्वाचन आयोग द्वारा अथवा कर्त्तव्य निर्वाह में आने वाली समस्या समाधान हेतु की गयी

अथवा विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा इसकी मांग के भीतर एवं बाहर लगातार की जाती रही है।

निर्वाचन सुधार : पूर्व में किए गए सुधार एवं सुझाव :–

निर्वाचन से सम्बन्धित विकृतियों की विवेचना और निर्वाचन सुधार का विषय विगत दशकों से संसद और देश के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित करता रहा है। अनेक पक्षां द्वारा इस सम्बन्ध में सिफारिशें प्रस्तुत की गयी, इसमें से अधिक महत्वपूर्ण पक्षों की सिफारिशों का अध्ययन अपना महत्व रखता है।

चूंकि निर्वाचन से जुड़ी त्रुटियों को हर व्यक्ति, राजनीतिक दल, राजनेता, संस्था, समूह ने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, अतः स्वाभाविक रूप से निर्वाचन सुधारों के लिए प्रस्तुत उनके सुझावों में उनका विशिष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ भी महसूस होता है।

1. सी.राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तावित सुधार :–

सी. राजगोपालाचारी ने निर्वाचन में धन–बल और भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकने और स्वच्छ निर्वाचन हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किये।

(अ) निर्वाचन का राष्ट्रीयकरण करने हेतु सरकार को निर्वाचन व्यय वहन करना चाहिए तथा मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

(ब) निर्वाचन के छः माह पूर्व राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के अधीन एक कार्यकारी सरकार की स्थापना होनी चाहिए तथा प्रशासन को गैर–राजनीतिक बनाना चाहिए।

(स) संसद प्रकार्यात्मक (व्यवसाय) तथा आनुपातिक आधार पर निर्मित होनी चाहिए। एक निर्वाचित आर्थिक परिषद् जिसमें उद्योग, व्यापार–वाणिज्य के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो तथा मजदूरों को राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों की जगह स्थान प्राप्त होना चाहिए।

(द) राजनीतिक दलों को औद्योगिक समूहों से प्राप्त मौद्रिक सहयोग की एक ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए तथा कम्पनियों को अपनी साधारण बैठक में उसे अनुमोदित करवाना चाहिए एवं बाद में इसे प्रकाशित करवाना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल के कोष का प्रतिवर्ष लेखा परीक्षण होना चाहिए।

(य) प्रत्येक राजनीतिक दल को निर्वाचित कम्पनियों द्वारा धन प्राप्त करने के स्थान पर सदस्यता शुल्क से प्राप्त कोष के आधार पर लड़ना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपनी सदस्यता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि स्वच्छ दलीय व्यवस्था जन्म ले सके।

श्री एस.सी. छागला ने इन सुझावों के साथ दो अतिरिक्त सुझाव स्पष्ट किये हैं।

1. उप–निर्वाचन, स्थान रिक्त होने के छः माह के भीतर अवश्य ही हो जाने चाहिए और यदि किन्हीं कारणों से वे नहीं होते हैं तो निर्वाचन आयोग को इसके समुचित कारणों को संसद के पटल पर प्रस्तुत करने होंगे।

2. निर्वाचन आयुक्त को पद से सेवानिवृत होने के बाद सरकार के किसी पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए।

2. संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव :–

1970 में निर्वाचन सुधार के प्रश्न को सभी कोणों से देखने के लिए एक सयुक्त संसदीय समिति बैठायी गयी जिसमें दो भागों में क्रमशः 18 जनवरी, 1972 तथा 10 मार्च, 1972 को अपनी रिपोर्ट दी।

संसदीय समिति ने प्रतिवेदन में मुख्यतः निम्न सुझाव दिये –

1. किसी मतदान में भ्रष्ट–आचरण के लिए न्यायालय द्वारा प्रमाणित व्यक्ति को निर्वाचन में अयोग्य माना जाये।

2. बहु–सदस्यीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हो।

3. आकाशवाणी पर निर्वाचन प्रसार के लिए समान राजनीतिक दलों को समान मात्रा में समय दिया जाये।

4. निर्वाचन–प्रणाली में बुनियादी परिवर्तनों के बारे में जो सुझाव देने के लिए एक विशेष समिति का गठन हो।

3. तारकुंडे समिति द्वारा प्रस्तावित सुझाव :–

निर्वाचन सुधार के प्रश्न पर विचार और अध्ययन करने के लिए ''सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' नामक संगठन की ओर से श्री जयप्रकाश नारायण ने 1974 में एक समिति का गठन किया था। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और प्रसिद्ध रेडिकल मानववादी श्री वी.एम. तारकुण्डे इसके अध्यक्ष थे। समिति ने 9 फरवरी 1975 को अपनी रिपोर्ट दी। समिति से कहा गया कि वह देश के निर्वाचन कानून में निहित दोषों को दूर करने के उपाय खोजे।

तारकुंडे समिति ने प्रमुख सिफारिशें अग्रांकित की :–

1. मताधिकार 21 के बजाय 18 वर्ष की आयु में ही दे दिया जाये।

2. आय के स्रोतों का उल्लेख तथा आय व्यय का पूरा हिसाब लिखना समस्त राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य कर दिया जाये और निर्वाचन आयोग इसकी जांच कराये। अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्च के हिसाब की

जांच करायी जाये। राजनीतिक दलों द्वारा अभ्यार्थियों पर किया जाने वाला खर्च अभ्यर्थियों के हिसाब से जोड़ा जाये और निर्वाचन खर्च की वर्तमान सीमा को दुगना कर दिया जाये।

3. प्रत्येक अभ्यर्थी को सरकार की ओर से छपे हुए मतदान कार्ड निःशुल्क दिये जाये तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को छूट हो कि वह अपन निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता के नाम 50 ग्राम तक प्रचार सामग्री डाक से निःशुल्क भेज सके। निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूचियों की 12 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को सरकार की ओर से निःशुल्क दी जाये।

4. जो लोग राजनीतिक दलों को वर्ष में एक हजार रूपया दान दे, उन्हें उस राशि पर आयकर की छूट दी जाये तथा कम्पनियों पर यह प्रतिबन्ध जारी रखा जाये कि वे राजनीतिक दलों को दान नहीं दे सकती। कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों के रूप में राजनीतिक दलों को दी जाने वाली सहायता पर भी पाबन्दी लगायी जाये।

5. लोकसभा अथवा विधानसभा के विघटन और नए निर्वाचनों की घोषणा के बाद से सरकार काम चलाऊ सरकार की तरह काम करे। वह नयी नीतियों की घोषणा नहीं करे, न उन्हें लागू करे, न नयी परियोजनाऐं चालू करे, न उनको वादा करे, न नये ऋण अथवा भत्ते दे और न वेतन

वृद्धि की घोषणा करे, तथा ऐसे सरकारी समारोह आयोजित न करे, जिनमें मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री अथवा संसदीय सचिव भाग ले।

4. विभिन्न राजनीतिक दलों के सुझाव :–

समय–समय पर कई राजनीतिक दलों ने निर्वाचन सुधार हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किए एवं सुधारों की मांग भी की। इनमें से कुछ प्रमुख प्रस्ताव/सुझाव भिन्न–भिन्न दलों के इस प्रकार हैं –

1. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव – कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्वाचन प्रणाली में बुनियादी संशोधनों की मांग की है। उसने कहा कि देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत निर्वाचन प्रणाली लागू की जाये। निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य हों तथा उनका चयन संसद अपने दो तिहाई बहुमत से करे तथा उसमें से कोई भी सदस्य प्रशासकीय सेवाओं का सेवानिवृत्त कर्मचारी न हो।

2. जनसंघ का सुझाव – निर्वाचन प्रणाली का सम्बन्ध में जनसंघ की घोषित नीति भारतीय साम्यवादी दल के समान थी उसने भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत सूची प्रणाली का समर्थन किया।

3. अन्नाद्रमुक का सुझाव – अन्नाद्रमुक के सुझावों में कहा गया है कि मतदाताओं का प्रत्यावर्तन (रीकॉल) का अधिकार दिया जाये।

5. हेगड़े सरकार द्वारा प्रस्तुत सिफारिसें :–

जनवरी, 1983 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े ने निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करके निर्वाचन के वास्तविक ध्येयों एवं लोकतान्त्रिक मूल्यों को बचाये रखने के लिए निम्न सुझाव स्पष्ट किये –

1. बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाये तथा उनकी सेवा शर्त विधि द्वारा निर्धारित की जाये।

2. एक स्वतन्त्र निर्वाचन विभाग की तथा निर्वाचन कोष की स्थापना की जाये। निर्वाचन आयोग की सहायता करने हेतु क्षेत्रीय आयुक्तों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए।

3. सरकारी तंत्र एवं सूचना साधनों के दुरुपयोग के विरूद्ध एक व्यापक आचरण संहिता होनी चाहिए तथा जिसे कानूनी स्थिति प्रदान की जाये।

4. उप–निर्वाचन हेतु 6 माह की अवधि निर्धारित कर देनी चाहिए।

5. निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी दलों को अपने आंतरिक संगठनात्मक निर्वाचन भी निर्धारित समयानुसार करवाने चाहिए। इन

राजनीतिक दलों को अपने कोष का लेखांकन भी नियमित रूप से करवाना और प्रकाशित करना चाहिए।

6. निर्वाचकों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए तथा निर्वाचकों को फोटोयुक्त परिचय पत्र प्रदान किए जाने चाहिए।

6. राजीव सरकार द्वारा किए गए प्रयास :–

दिसम्बर 1984 में सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी ने निर्वाचन से संबंधित दो महत्वपूर्ण सुधार किए जो कि भारतीय राजनीति में काफी महत्व रखते हैं, वे हैं :–

1. दल बदल पर रोक लगाना

2. मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना

7. दिनेश गोस्वामी समिति के सुझाव :–

वीपी सिंह सरकार में विधि राज्यमंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधार संबंधी एक समिति का निर्माण किया गया। समिति ने मई, 1990 में अपने सुझाव दिये जो इस प्रकार हैं :–

1. बूथ कब्जे की घटनाओं को रोकने के लिए पुनः मतदान कराया जाये

2. आरक्षित सीटों के लिए भ्रमणशील (रोटशन) पद्धति अपनायी जाये

3. निर्वाचन याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण किया जाये

4. इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन का प्रयोग प्रारम्भ किया जाये

5. छः माह में किसी भी रिक्त स्थान के लिए उप निर्वाचन का प्रावधान अनिवार्य किया जाये

6. मतदाताओं के फोटो चिपके परिचय पत्र दिये जायें

7. प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रचार हेतु सरकार धन उपलब्ध करवाये

8. इन्द्रजीत गुप्त समिति के सुझाव :–

निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु केन्द्रीय सरकार ने जून 1998 में वरिष्ठ सांसद इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से युक्त बहु सदस्य समिति बनाई जिसने निर्वाचन में राज्य द्वारा धन उपलब्ध कराने हेतु निम्न सुझाव दिये –

1. प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रचार हेतु सरकार धन उपलब्ध करवाये

2. सरकार केवल उन्हीं प्रत्याशियों को धन उपलब्ध करवाये जो किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल से जुड़े हैं।

3. राजनीतिक दलों को उनके निर्वाचन प्रचार एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए सरकार इस प्रकार धन उपलब्ध करवाये कि वे किसी बाहरी आर्थिक मदद से दूर रहें।

4. राजनीतिक दलों को पूर्णतः प्रत्यक्ष आर्थिक मदद देने के स्थान पर आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जैसे राजनीतिक दलों को मुख्यालय के लिए स्थान एवं उनके प्रत्याशियों को निश्चित मात्रा में डीजल और पेट्रोल आदि।

9. विधि आयोग का 170 वां प्रतिवेदन :–

1999 में विधि आयोग के अध्यक्ष के.जीवन रेड्डी ने आयोग का 170वां प्रतिवेदन निर्वाचन कानूनों में सुधार के सम्बन्ध में प्रेषित किया, जो इस प्रकार है –

1. आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 771 में संशोधन का सुझाव दिया।

2. न्यायालय द्वारा गम्भीर अपराधिक मुकदमों में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही निर्वाचन के लिए अयोग्य मान लेना चाहिए।

3. मिथ्या शिकायतों एवं प्रमाणों की स्थिति में दण्डित करने के लिए आपराधिक दण्ड संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए।

4. निर्वाचन में खड़े होने वाले हर अभ्यर्थी को अपने एवं परिवार के सदस्यों की चल–अचल सम्पत्ति की घोषणा करनी चाहिए।

5. निर्वाचन में विजयी अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक कर देना चाहिए कि वह कुल मतों के आधे से अधिक मत अवश्य ही प्राप्त करे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अय्यर, एस.पी. तथा श्रीनिवासन, आरः स्टडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी, बम्बई, एलाईड पब्लिशर्स, 1965.

2. अली, सबीक : ए सर्वे ऑफ दी जनरल इलेक्शन्स, 1957, नई दिल्ली, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 1959

3. भल्ला, आर.पी. : इलेक्शन्स इन इण्डिया, दिल्ली, एस. चॉद एण्ड कम्पनी, 1972

4 ज्वाइन्ट प्रेस रिलीज एट द कनक्ल्यूजन ऑफ द फर्स्ट सार्क सम्मिट (ढांका), 8 दिसम्बर, 1985

5 बंगलौर डिक्लेरेशन, (सैकण्ड सम्मिट) ऑफ हैड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेन्ट (बंगलौर), 16–17 नवम्बर 1986.

6 ज्वाइन्ट प्रेस रिलीज एट द कन्क्ल्यूजन ऑफ द सैकण्ड सार्क सम्मिट (बंगलौर), 17 नवम्बर 1986

7. भवगती, जगदीश एन. तथा अन्य : इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन दी इण्डियन स्टेट्स, दिल्ली, मनोहर, 1975

8. भण्डारी, के : इण्डियाज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दी इलेक्शन्स आर. कारवेज, नई दिल्ली, 1988

9. चतुर्वेदी, आर.जी.: स्टेट एण्ड राइट्स ऑफ मैन, दिल्ली, मैट्रोपोलिटन, 1971